अ॰शा॰ पत्र सं॰ 9/2/97-रा॰भा॰ (सेवा), दिनांक 15.4.1997

मैं आपका ध्यान आपके मंत्रालय/विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत हिंदी अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा संबंधी समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं। इन राजभाषा कर्मियों का संवर्ग न होने के कारण इनके पदोन्नति के अवसर अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों की अपेक्षा बहुत कम हैं, जिससे उनका कार्य करने में मनोबल गिरता है। आपको ज्ञात होगा कि राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार हेतु यह विभाग प्रतिवर्ष देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन करता है, जिसमें अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत हिंदी अधिकारी/कर्मचारी भाग लेते हैं और अपनी सेवा संबंधी समस्याओं को उठाते हैं। उनकी मुख्य मांग यह रही है कि उनको पदोन्नति के सुअवसर उपलब्ध करवाये जाएं। यह विभाग महसूस करता है कि पदोन्नति के अवसर न मिलने के कारण इन अधिकारियों में कार्य के प्रति उदासीनता बढ़ रही है। अत: राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है।

2. इस विषय पर प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 2 दिसम्बर, 1987 को हुई केंद्रीय हिंदी समिति की बैठक में विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया था कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अधीनस्थ कार्यालयों में कार्य कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों को पदोन्नति के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाने हेतु उनके अलग-अलग संवर्ग गठित किए जाएं। संसदीय राजभाषा समिति ने भी अपने प्रतिवेदन के प्रथम खण्ड में की गई सिफारिश में इसी बात पर बल दिया है। अत: सभी मंत्रालयों/विभागों को इस प्रकार के संवर्ग गठित करने के लिए इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 6 अप्रैल, 1988, 13 नवम्बर, 1990 तथा 25 अप्रैल, 1991 द्वारा लिखा गया था। श्री गिरधारी लाल भार्गव, संसद सदस्य ने भी प्रधान मंत्री जी को संबोधित अपने पत्र दिनांक 1 दिसम्बर, 1996 में अन्य बातों के अलावा इस विषय की ओर ध्यान दिलाया है।

3. दिनांक 30 जनवरी, 1997 को हुई केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 26वीं बैठक में भी इस विषय पर विचार किया गया था। बैठक में निम्न निर्णय लिया गया:-

"सभी मंत्रालय/विभाग अपने अधीनस्थ विभागों/कार्यालयों/संगठनों तथा निगमों में राजभाषा संबंधी पदों का सथास्थिति संवर्गीकरण का कार्य तुरन्त प्रारम्भ करें। इस कार्य में न केवल राजभाषा संबंधी कार्य आवश्यकताओं एवं कार्यस्वरूप को ध्यान में रखा जाए, अपितु संवर्गीकृत पदों पर पदोन्नति के अवसर भी उपलब्ध करवाए जाएं।"

4. अत: अनुरोध है कि आप केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के उपरोक्त निर्णय पर आवश्यक काईवाई कृपया शीघ्र करवाने का कष्ट करें और की गई कार्रवाई से इस विभाग को अवगत कराएं।